बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

क्या आपके आस-पास कोई भ्रष्टाचार है? पीआईडीपीआई (PIDPI) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करें।

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी

लिखित शिकायतें निम्न पते पर भेजें :
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
सतर्कता भवन, ब्लॉक – ए
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए
नई दिल्ली – 110023

(लिफाफे पर " पीआईडीपीआई " लिखें. शिकायतें पीएसयू, पीएसबी और यूटी इत्यादि सहित केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध होनी चाहिए)

पीआईडीपीआई (PIDPI) शिकायतें : क्या हैं? और आपको ये शिकायतें कब करनी चाहिए?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

1. सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प के अंतर्गत की गई शिकायतों को पीआईडीपीआई (PIDPI) शिकायतें कहा जाता है।

2. यदि पीआईडीपीआई (PIDPI) के अंतर्गत कोइ शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

3. शिकायत सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को की जाए और लिफाफे पर पीआईडीपीआई (PIDPI) लिखें।

4. केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (पीएसयू, पीएसबी और यूटी सहित) के विरुद्ध शिकायतों का ही संज्ञान लिया जाएगा।

5. अधिक जानकारी के लिए https://cvc.gov.in को भेंट दें।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

Azadi Ka Amrit Mahotsav

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

पीआईडीपीआई शिकायतें कैसे दर्ज करें

- शिकायत एक सीलबंद लिफाफे में सचिव, सीवीसी को संबोधित हो और इस पर "पीआईडीपीआई शिकायत", "व्हिसिल ब्लोअर शिकायत" या "पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत शिकायत" अंकित होना चाहिए।
- व्हिसिल ब्लोअर का नाम और पता शिकायत की शुरुआत या अंत में या संलग्न शीट पर होना चाहिए। लिफाफे पर व्यक्तिगत विवरण का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
- पीआईडीपीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, डाक विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि जहां कहीं भी लिफाफे पर पीआईडीपीआई अंकित हो, तो डाक अधिकारियों द्वारा नाम और पते पर जोर नहीं दिया जाएगा।
- शिकायतें केवल डाक द्वारा ही भेजी जानी चाहिए। ईमेल, शिकायत प्रबंधन पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर पीआईडीपीआई शिकायतों के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
- व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा के लिए, शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोग के साथ आगे कोई भी पत्राचार न करें।
- शिकायत में उल्लिखित मेरिट और विवरण के आधार पर स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों पर आगामी कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है।
- आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग ने इसके संदर्भ की प्राप्ति के दिनांक से 12 सप्ताह की अवधि निर्धारित की है।
- आयोग में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, रिपोर्ट और दस्तावेजों की गहन जांच के पश्चात आगामी कार्रवाई तय की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए https://cvc.gov.in को भेंट दें |